तत्काल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,   संख्या–1128 /60–1–10–1/13(71)/06

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1   लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2011

विषय– समेकित बाल संरक्षण योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–4931/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 03–12–2010 क़ा संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की जा चुकी है, जिसके कियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या– शासनादेश संख्या–4930/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 03–12–2010 द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना में जनपद स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रारम्भिक तैयारी किए जाने के निर्देश दिए गए थे। शासनादेश संख्या– 840/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 14–03–2010 द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा चुका है। शासनादेश के साथ ही साथ राज्य बाल संरक्षण समिति की प्रथम बैठक कराकर जिले की कार्ययोजना तैयार किए जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत समस्त आवश्यक दिशा–निर्देश एवं अभिलेख नामित जिला बाल संरक्षण अधिकारियों/जिला परिवीक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

खेद का विषय है कि जिला बाल संरक्षण अधिकारियों/जिला परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही समय से न किए जाने के कारण समेकित बाल संरक्षण योजना जनपद स्तर पर क्रियान्वित किए जाने में विलम्ब हो रहा है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि समेकित बाल संरक्षण योजना में किए जाने वाले कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारियों से समस्त वाँछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

1. जिला बाल संरक्षण समिति की प्रथम बैठक।
2. जिला बाल संरक्षण समिति का संयुक्त बैंक खाता खोलना।
3. जिला बाल संरक्षण समिति में नामित प्रतिष्ठित समाजसेवी का नामांकन।
4. जनपद की कार्य योजना तैयार किया जाना।
5. समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों में से जनपद की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत सर्वे करवाकर रिपोर्ट राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित किया जाना।
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक सेवाओ में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण समिति के लिए समेकित बाल

संरक्षण योजना के प्राविधानों के अंतर्गत निर्धारित दर एवं निर्धारित क्षेत्रफल के अनुसार कार्या
हेतु भवन का चयन कर जिला बाल संरक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति प्र
की जाए तथा कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाए।

7. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का परिचय-
यथाशीघ्र निर्गत करवाया जाए।

8. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत संचालि
विभागीय/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करवाया जाए जिस
मुख्य रूप से बच्चों के खान-पान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए।

9. जनपद स्तर पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, जिसमें संस्थागत एवं
संस्थागत वाले बच्चों का डाटाबेस बनाया जाए।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर आप तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1128 (1)/60-1-10-1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेषप्रेसचिव।